प्रेस नोट दिनांक 22.06.2026

थाना बहेड़ी जनपद बरेली

फर्जी सीबीआई बनकर अपहरण व फिरौती कांड का खुलासा कर थाना बहेड़ी #bareillypolice द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना बहेड़ी पुलिस द्वारा सीबीआई अधिकारी बनकर अपहरण, मारपीट कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा पीड़ित को गाड़ी में बैठाकर मारपीट करते हुए UPI एवं अन्य माध्यमों से अवैध धनराशि भी वसूली गई थी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.06.2025 को वादी अशफाक अहमद पुत्र अनवार अहमद निवासी ग्राम सिमरा थाना बहेड़ी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार कुछ व्यक्तियों द्वारा उनकी कार को रोककर जबरन गाड़ी में बैठाया गया, गाली-गलौच, मारपीट की गई तथा स्वयं को सीबीआई अधिकारी बताकर 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई। सूचना पर मु0अ0सं0 476/2026 धारा 126(2)/140(2)/115(2)/352/351(2)/310(2)/317(2) BNS बनाम नामजद/अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

सूचना एवं कार्यवाहीः-

दिनांक 21.06.2026 को थाना बहेड़ी पुलिस द्वारा क्षेत्र में गश्त के दौरान मुडिया रोड पर कार्रवाई करते हुए उक्त घटना से संबंधित 03 अभियुक्तों को रात्रि 23:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों द्वारा संगठित रूप से अपहरण कर फिरौती वसूली तथा स्वयं को सीबीआई अधिकारी बताकर भय उत्पन्न करने की घटना कारित की गई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे आपस में परिचित/मित्र हैं तथा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना बनाकर अशफाक अहमद का अपहरण किया। अभियुक्त जहीर ने बताया कि वह पीड़ित अशफाक का परिचित है तथा रुपये की आवश्यकता होने पर उसने अपने साथियों सन्नी एवं सुमन्त को अपहरण एवं फिरौती की योजना में शामिल किया। योजना के अनुसार अशफाक को खेत के पास बातचीत के बहाने रोका गया और बाद में अन्य साथी भी मौके पर पहुंच गए। इसके पश्चात अभियुक्तों ने स्वयं को सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित एवं जहीर को धमकाया, मारपीट की तथा गाड़ी में बैठाकर फिरौती की मांग की। भय दिखाकर 50 लाख रुपये की मांग की गई, जिस पर बाद में 4 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि पीड़ित से UPI/फोनपे के माध्यम से लगभग ₹78,000 (20,000 + 56,000 + 2,000) एवं ₹6,000 नकद प्राप्त किए गए तथा मोबाइल फोन एवं कार भी कब्जे में ले ली गई। घटना के दौरान पीड़ित से UPI PIN लेकर अवैध रूप से लेन-देन किया गया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि घटना में मोहित, प्रिंस एवं एक अज्ञात महिला सहित अन्य व्यक्ति भी संलिप्त हैं, जिनके संबंध में आगे जांच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. जहीर पुत्र सिराज अहमद निवासी ग्राम सिमरा थाना बहेड़ी जनपद बरेली उम्र 38 वर्ष
2. सन्नी अरोरा पुत्र खान चन्द्र नि0 पन्त कालोनी निकट मंगल मार्केट थाना किच्छा , ऊधमसिंहनगर उम्र 39 वर्ष
3. सुमन्त यादव पुत्र राजेश यादव निवासी किशनपुर थाना किच्छा जनपद ऊधमसिंहनगर उम्र 28 वर्ष

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 476/26 धारा 126(2)/140(2)/115(2)/352/351(2)/310(2)/317(2) BNS थाना बहेड़ी जनपद बरेली

बरामदगी का विवरणः-

01 स्विफ्ट कार (रजि0 नं0 UP-25-CN-8975)

03 मोबाइल फोन

₹700 नकद

पुलिस टीम का विवरणः-

प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा थाना बहेड़ी जनपद बरेली

उ0नि0 नीरज कुमार सिह थाना बहेड़ी जनपद बरेली

हे0कां0 हरपाल भाटी थाना बहेड़ी जनपद बरेली

हे0कां0 विकास कुमार थाना बहेड़ी जनपद बरेली

हे0कां0 राजीव कुमार थाना बहेड़ी जनपद बरेली

कां0 अतुल नागर थाना बहेड़ी जनपद बरेली

म0कां0 पारूल सैनी थाना बहेड़ी जनपद बरेली